न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/375

1. पाबूदान सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मीरण तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. भंवर सिंह दत्तक पुत्र श्री बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मीरण तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर राजस्थान।
2. उच्चब कंवर पुत्री श्री कल्याण सिंह,
3. गोगा कंवर पुत्री श्री कल्याण सिंह,
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम मीरण तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर राजस्थान।
4. ग्राम पंचायत मीरण, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर।
5. भूमिधारी तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार नेछवा जिला सीकर के निर्णय दिनांक 08.04.2022 प्रकरण संख्या 10/2019, 11/2019 बउनवानी भंवर सिंह बनाम पाबूदान सिंह व अन्य में पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री हेमेन्द्र सिंह राणावत, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री प्रेमप्रकाश शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 4 बाद तामील अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 25.05.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नेछवा जिला सीकर के निर्णय दिनांक 08.04.2022 के खिलाफ अन्दर मियाद प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा अपील संख्या 12/2015 एवं 13/2015 उनवान भंवर सिंह बनाम पाबूदान सिंह आदि में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2019 में दर्ज ग्राम मीरण के विरासत नामान्तरकरण संख्या 1611 दिनांक 21.04.2015 व ग्राम मीलो की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 278 दिनांक 21.04.2015 को निरस्त कर पुनः विधिक वारिसों की जांच कर नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण किये जाने हेतु तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था। तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर ने उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 03.07.2019 की पालना में प्रकरण 135(2) में दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.04.2022 द्वारा श्रीमती रिद्धकंवर पत्नि स्व0 श्री बहादुरसिंह के नाम ग्राम मीरण के खसरा नम्बर 68, 92/2 व 684 तथा ग्राम मीलो की ढाणी के खसरा नम्बर 89, 90 व 91 की भूमि का विरासत का नामान्तरकरण उसके जीवन काल में ही सामाजिक रीति रिवाज अनुसार रखे गये दत्तक पुत्र श्री भंवरसिंह दत्तक पुत्र बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मीरण तहसील नेछवा, जिला सीकर के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 08.04.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट पाबूदान सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर का निर्णय दिनांक 08.04.2022 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.04.2022 के आदेश तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर के प्रकरण संख्या 10/19, 11/19 के पारित निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज व गवाह फर्जी व कूटरचित प्रस्तुत किये गये है रेस्पोडेन्ट भंवर सिंह के विरूद्ध ग्राम पंचायत मीरण के तत्कालीन सरपंच द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में कांट–छांट की गई, यदि तत्कालीन सरपंच रामस्वरूप द्वारा रेस्पोडेन्ट व उसके परिवार वालों के विरूद्ध नेछवा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी, यदि जिसकी अखबार की कटिंग प्रस्तुत है। जिससे साफ जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट ने जाली दस्तावेज बनाकर अधीनस्थ न्यायालय से निर्णय पारित करवाया गया है जो निर्णय दिनांक 08.04.2022 खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिलवाये गये बयानों का पूर्व में शपथ पत्र दिया हुआ है जो प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे भी साफ जाहिर होता है कि गलत बयानों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। रेस्पोडेन्ट ने फर्जी व कूटरचित बिना विधिक प्रक्रिया का गोदनामा शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज किये जाने योग्य हैं। रेस्पोडेन्ट भंवर सिंह निर्वाचन नामावली में भी भंवर सिंह पुत्र कल्याण सिंह है जो प्रस्तुत की जा रही है। बहादुर सिंह की मृत्यु के उपरांत भी नामान्तकरण सभी परिवार के वारिसों के नाम तस्दीक हुआ था और रेस्पोडेन्ट ने गलत तथ्यों व गलत दस्तावेजों के आधार पर निर्णय पारित करवाया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा ग्राम मीरण के सरपंच के बयानों का हवाला दिया है जबकि सरपंच मीरण द्वारा स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लिखकर दिया है कि सम्पूर्ण गांव वालों से जानकारी करने के उपरांत यह पाया कि भंवर सिंह कभी भी रिद्ध कंवर के गोद नही गया और ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा लिखित शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिससे साफ जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी दस्तावेज का बिना अवलोकन किये ही राजनैतिक प्रभाव में आकर निर्णय पारित किया है जो निर्णय दिनांक 08.04.2022 खारिज किये जाने योग्य है।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि प्रार्थी हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 की पुस्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 89 रकबा 0.6000, खसरा नम्बर 90 रकबा 1.8800 खसरा नम्बर 91 रकबा 0.1600 कुल किता 3 कुल रकबा 2.6400 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 वाके ग्राम मीलों की ढाणी पटवार हल्का मीरण तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी अपीलान्ट की माता रिद्धकंवर की खातेदारी में दर्ज थीं। स्व. दीपसिंह के दो पुत्र बहादुर सिंह व कल्याण थे। बहादुर के कोई औलाद नहीं होने से अपने जीवन काल में अपनी पत्नि की इच्छा से भंवरसिंह को बेसाख सुदी तीज (आखा तीज) सम्वत् 2034 को सर्व समाज में अपनी गोद में बैठाकर व सिर पर हाथ रखकर गोद की रस्म अदा की। हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने दत्तक माता पिता की सेवा की तथा उनकी खातेदारी की भूमियों का उनके जीवन काल में काश्त करते चले आ रहा है। कुछ वर्ष बाद बहादुर सिंह फौत हो गये। उनकी पगड़ी की रस्म भी हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भंवरसिंह के ही बांधी गई। परन्तु अपीलान्ट 1 चालाक व बदमाश प्रवृति का होने से बहादुर सिंह की मृत्यु के

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

पश्चात उनकी विरासत का नामान्तरकरण उनकी धर्म पत्नि रिद्ध कंवर के अकेले के ही नाम करवा लिया गया।

हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा हाल अपीलान्ट को कहा गया कि मेरा विरासत का नामान्तरकरण भी रिद्ध कंवर के साथ मेरे नाम से भी भरा जाना चाहिए, इसलिए कहा कि रिद्धकंवर की मृत्यु के पश्चात तेरे नाम से नामान्तरकरण भरा जायेगा। परन्तु रिद्धकंवर की मृत्यु के पश्चात चालाकी से हाल अपीलांट ने राजस्व कर्मचारी व ग्राम पंचायत मीरण से गुपचुप मिलकर अपीलान्ट की माता रिद्धकंवर की मृत्यु के पश्चात विरासत के नामान्तरकरण हाल अपीलान्ट पाबूदान सिंह व हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 अपनी बहनों को वारिस बताकर गुपचुप में अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 278 ग्राम पंचायत मीरण से दिनांक 21.04.2015 को तस्दीक करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के 1/2 भाग की भूमि से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करने से वंचित कर दिया। जबकि कानूनन हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गोद गया हुआ होने से अपनी माता की विरासत का नामान्तरकरण अकेले के ही भरा जाना था। जबकि हाल अपीलान्ट को बहादुर सिंह के पुत्र के नाम से जाना व पहचाना जाता है, और समस्त दस्तावेजों में पिता के स्थान पर बहादुर सिंह का नाम ही अंकित है। चुनौतीग्रस्त नामान्तरकरण 278 ग्राम मीलों की ढाणी ग्राम पंचायत मीरण अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना माता स्व. रिद्धकंवर की मृत्यु के कुछ दिनों पश्चात बाला बाला भरा है जो खारिज होने योग्य है। आगे खातेदार मृतक रिद्धकंवर का सजरा खानदान दर्ज किया है, जिसमें बहादुरसिंह व रिद्धकंवर फौत दर्शाये गये हैं। भंवरसिंह दत्तक पुत्र के रूप में दर्शाया गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा अपील संख्या 12/2015 एवं 13/2015 उनवान भंवर सिंह बनाम पाबूदान सिंह आदि में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2019 में दर्ज ग्राम मीरण के विरासत नामान्तरकरण संख्या 1611 दिनांक 21.04.2015 व ग्राम मीलो की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 278 दिनांक 21.04.2015 को निरस्त कर पुनः विधिक वारिसों की जांच कर नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण किये जाने हेतु तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था। तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर ने उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 03.07.2019 की पालना में प्रकरण 135(2) में दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.04.2022 द्वारा श्रीमती रिद्धकंवर पत्नि स्व0 श्री बहादुर सिंह के नाम ग्राम मीरण के खसरा नम्बर 68, 92/2 व 684 तथा ग्राम मीलो की ढाणी के खसरा नम्बर 89, 90 व 91 की भूमि का विरासत का नामान्तरकरण उसके जीवन काल में ही सामाजिक रीति रिवाज अनुसार रखे गये दत्तक पुत्र श्री भंवरसिंह दत्तक पुत्र बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मीरण तहसील नेछवा, जिला सीकर के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.2022 उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर का अपीलाधीन आदेश 08.04.2022 उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उभयपक्षों के मध्य मुख्यतः विवाद ग्राम मीरण के भूमि खसरा नम्बर 68, 92/2 व 684 तथा ग्राम मीलों की ढाणी के खसरा नम्बर 89, 90 व 91 की खातेदारी रिद्धकंवर पत्नि स्व0 बहादुरसिंह के

नाम दर्ज थी, जिसकी विरासत को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर को प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा अपील संख्या 12/2015 एवं 13/2015 उनवान भंवर सिंह बनाम पाबूदान सिंह आदि में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2019 में दर्ज ग्राम मीरण के विरासत नामान्तरकरण संख्या 1611 दिनांक 21.04.2015 व ग्राम मीलों की ढाणी के नामान्तरकरण संख्या 278 दिनांक 21.04.2015 को निरस्त कर पुनः विधिक वारिसों की जांच कर नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर ने प्रकरण को राजस्थान एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 135(2) में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में जांच करवाई गई। जिसमें पंजीबद्ध गोदनामा नहीं होते हुए भी भू0अ0नि0 व पटवारी की जांच रिपोर्ट में श्री भंवरसिंह द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में भंवरसिंह को बहादुर सिंह का पुत्र के रूप में दर्शाया गया है। गांव वालों के बयानात व जांच में बहादुर सिंह की मृत्यु पर पगडी भी श्री भंवरसिंह के बंधवाई गई थी। श्रीमती रिद्धकंवर की मृत्यु से पूर्व श्री भंवरसिंह ही उसके साथ दत्तक पुत्र के रूप में रह रहा था, उसकी समस्त चल अचल सम्पति की देखरेख कर रहा था।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर ने पत्रावली के संलग्न कागजात का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिवादी द्वार प्रस्तुत दस्तावेज, जांच रिपोर्ट भू0अ0नि0/पटवारी तथा गवाहों के बयानात आदि के आधार पर पंजीबद्ध गोदनामा नहीं होते हुए भी भंवरसिंह को बहादुरसिंह का दत्तक पुत्र (विधिक वारिस) मानना न्यायोचित लगने के उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ही श्रीमती रिद्धकंवर पत्नि स्व0 श्री बहादुर सिंह के नाम ग्राम मीरण के खसरा नम्बर 68, 92/2 व 684 तथा ग्राम मीलों की ढाणी के खसरा नम्बर 89, 90 व 91 की भूमि का विरासत का नामान्तरकरण उसके जीवन काल में ही सामाजिक रीति रिवाज अनुसार रखे गये दत्तक पुत्र श्री भंवरसिंह दत्तक पुत्र बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मीरण तहसील नेछवा, जिला सीकर के नाम दर्ज करने के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.04.2022 पारित किये गये हैं। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों को विस्तृत अध्ययन एवं विश्लेषण कर निर्णय पारित किया गया है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर के पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.04.2022 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि गोदनामा की विधिसम्यकता का परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है तथा जब तक सक्षम न्यायालय से गोदनामा निरस्त नहीं हो जाता तब तक गोदनामा को विधिक रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नेछवा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.2022 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.04.2022 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। ऐसे में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः आदेश है कि– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.04.2022 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर